अर्थशास्त्र

कक्षा 9 के लिए पाठ्यपुस्तक

© NCERT
not to be republished

0971

विद्ययाऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

0971 – अर्थशास्त्र
कक्षा 9 के लिए पाठ्यपुस्तक

ISBN 81-7450-523-7

प्रथम संस्करण
मार्च 2006 चैत्र 1927

पुनर्मुद्रण
नवंबर 2006 अग्रहायण 1928
अक्तूबर 2007 आश्विन 1929
जनवरी 2010 माघ 1931
नवंबर 2010 अग्रहायण 1932
जनवरी 2012 माघ 1933
मार्च 2013 फाल्गुन 1934
फरवरी 2014 माघ 1935
फरवरी 2016 माघ 1937
जनवरी 2017 पौष 1938
दिसंबर 2017 पौष 1939
जनवरी 2019 माघ 1940
अक्तूबर 2019 कार्तिक 1941
जुलाई 2021 श्रावण 1943
दिसंबर 2021 अग्रहायण 1943

PD 90T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2006

₹ 50.00

एन.सी.ई.आर.टी. वॉटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा टेन प्रिंटर्स इंडिया प्रा. लि., 44 किमी. माइल स्टोन, नेशनल हाइवे 10, रोहतक रोड, गांव रोहाद, ज़िला झज्जर, हरियाणा द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 **दूरभाष : 011-26562708**

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III स्टेज
बैंगलूरु 560 085 **दूरभाष : 080-26725740**

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 **दूरभाष : 079-27541446**

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप
पनिहटी
कोलकाता 700 114 **दूरभाष : 033-25530454**

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781021 **दूरभाष : 0361-2674869**

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	*अनूप कुमार राजपूत*
मुख्य संपादक	:	*श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	*अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	*विपिन दिवान*
संपादक	:	*मीरा कांत*
सहायक उत्पादन अधिकारी	:	*मुकेश गौड़*

सज्जा एवं आवरण
निधि वाधवा

चित्रांकन
सविता वर्मा

© NCERT not to be republished

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

© NCERT not to be republished

के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर तापस मजूमदार की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्

© NCERT not to be republished

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, *प्रोफ़ेसर*, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता।

मुख्य सलाहकार

तापस मजूमदार, *एमेरिटस प्रोफ़ेसर* (अर्थशास्त्र), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली।

समिति

गुलशन सचदेवा, *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र, जे.एन.यू. नयी दिल्ली।

नूतन पुंज, *पी.जी.टी.* (अर्थशास्त्र), केंद्रीय विद्यालय, सीमा सुरक्षा बल, नजफ़गढ़, नयी दिल्ली।

सुकन्या बोस, *वरिष्ठ अर्थशास्त्री*, अर्थशास्त्र शोध फाउंडेशन, 124 ए/1 कटवारिया सराय, नयी दिल्ली।

सदस्य समन्वयक

जया सिंह, *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

© NCERT not to be republished

आभार

परिषद् उन सभी लेखकों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने पुस्तक के लेखन का कार्य किया है। हम जनमेजय खुंतिया, *वरिष्ठ प्रवक्ता,* स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज़, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली; अरविंद सरदाना, एकलव्य, साकेत नगर, देवास, मध्य प्रदेश और एन.सी.ई.आर.टी. के सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग की नीरजा रश्मि, *प्रवाचक* एवं एम.वी. श्रीनिवासन, *प्रवक्ता* के भी आभारी हैं; जिन्होंने पुस्तक को अंतिम रूप देने में सहायता की।

हम सुंदर चंद्र ठाकुर, *संपादक,* नवभारत टाइम्स, को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद का कार्य किया। हम इनके भी आभारी हैं: प्रेम दास (अवकाश प्राप्त), वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग; ओ. पी. अग्रवाल, *प्रोफ़ेसर* (अवकाश प्राप्त), मेरठ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश; एच. के. गुप्ता, बाबूराम राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, शाहदरा, दिल्ली; ए. एस. गर्ग, *उपप्रधानाचार्य,* राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, गांधीनगर, दिल्ली; डी. एस. मिश्रा, *टी.जी.टी.* (सामाजिक विज्ञान), राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय, बेगमपुर, दिल्ली; जिन्होंने अनुवाद के पुनरीक्षण हेतु आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया और अपना बहुमूल्य योगदान किया।

पुस्तक के विकास में सहयोग के लिए हम सविता सिन्हा, *प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष,* सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हर संभव सहयोग दिया।

पुस्तक के विकास के विभिन्न चरणों में सहयोग के लिए *डी.टी.पी. ऑपरेटर* दिपेंद्र कुमार, *प्रूफ़रीडर* विभोर सिंह, *कॉपीएडीटर* विनय शंकर पांडेय व सुप्रिया गुप्ता, *कंप्यूटरस्टेशन इंचार्ज* दिनेश कुमार के भी हम आभारी हैं। प्रकाशन विभाग द्वारा हमें पूर्ण सहयोग एवं सुविधाएँ प्राप्त हुईं, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।

© NCERT not to be republished

विषय सामग्री

आमुख *iii*

अध्याय 1

पालमपुर गाँव की कहानी 1

अध्याय 2

संसाधन के रूप में लोग 16

अध्याय 3

निर्धनता : एक चुनौती 29

अध्याय 4

भारत में खाद्य सुरक्षा 41

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1]**[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य]** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2]**[राष्ट्र की एकता और अखंडता]** सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्‌द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

© NCERT not to be republished

1
अध्याय

0971CH01

पालमपुर गाँव की कहानी

अवलोकन

इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गाँव–पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं।

पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएँ जैसे, लघु-स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा–प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएँ, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गाँव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं।

परिचय

पालमपुर आस-पड़ोस के गाँवों और कस्बों से भलीभाँति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गाँव, रायगंज, पालमपुर से तीन किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गाँव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसाबग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं।

इस गाँव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गाँव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति (दलित) के लोगों की संख्या गाँव की कुल जनसंख्या का एक तिहाई है और वे गाँव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी

चित्र 1.1 : एक गाँव का दृश्य

नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में दो प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गाँव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है।

> उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गाँव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए।

एक काल्पनिक गाँव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गाँव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गाँवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें **गैर-कृषि क्रियाएँ** कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे।

यह कथ्य आंशिक रूप से गिल्बर्ट एटीन के शोध अध्ययन पर आधारित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर में एक गाँव से है।

Rationalised 2023-24
© NCERT not to be republished

उत्पादन का संगठन

उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ उत्पादित करना है, जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें आवश्यक हैं।

पहली आवश्यकता है **भूमि** तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे—जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है **श्रम** अर्थात् जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है।

तीसरी आवश्यकता **भौतिक पूँजी** है, अर्थात् उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूँजी के अंतर्गत कौन-कौन सी मदें आती हैं?

(क) *औज़ार, मशीन, भवन* **:** औज़ारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औज़ार जैसे—किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे—जेनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औज़ारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें **स्थायी पूँजी** कहा जाता है।

(ख) *कच्चा माल और नकद मुद्रा* **:** उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को **कार्यशील पूँजी** कहते हैं। औज़ारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन-क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं।

एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाज़ार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूँजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे **मानव पूँजी** कहा जाता है। मानव पूँजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।

चित्र 1.2 : *कारखाने में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक*

- चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूँजी की पहचान कीजिए।

उत्पादन भूमि, श्रम और पूँजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें **उत्पादन के कारक** कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम तीन कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए, इस अध्याय में हम भौतिक पूँजी को पूँजी कहेंगे।

पालमपुर में खेती

1. भूमि स्थिर है

पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75 प्रतिशत लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है।

लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि-क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर

Rationalised 2023-24

में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि-क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक, गाँव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नयी भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है, यद्यपि गाँवों में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। एक हेक्टेयर, 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं?

2. क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है?

यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गाँव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम (खरीफ़) में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्तूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम (रबी) में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है।

पालमपुर में एक वर्ष में किसान तीन अलग-अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुँओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे-छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे। पर, जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणामस्वरूप, 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी।

भारत में सभी गाँवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत, पठारी क्षेत्रों जैसे, दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40 प्रतिशत से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है।

एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को **बहुविध फसल प्रणाली** कहते है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले पंद्रह-बीस वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं।

चित्र 1.3 : विभिन्न फसलें

आइए चर्चा करें

- सारणी 1.1 में 10 लाख (मिलीयन) हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या दिखाता है? कक्षा में चर्चा करें।
- क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है? क्यों?

Rationalised 2023-24

सारणी 1.1 : संबंधित वर्षों में जुताई क्षेत्र

वर्ष	जुताई क्षेत्र (मिलीयन हेक्टेयर)
1950-51	132
1990-91	186
2000-01	186
2010-11 (P)	198
2011-12 (P)	196
2012-13 (P)	194
2013-14 (P)	201
2014-15 (P)	198
2015-16 (P)	197
2016-17 (P)	200

(P)- *अनंतिम गणना*

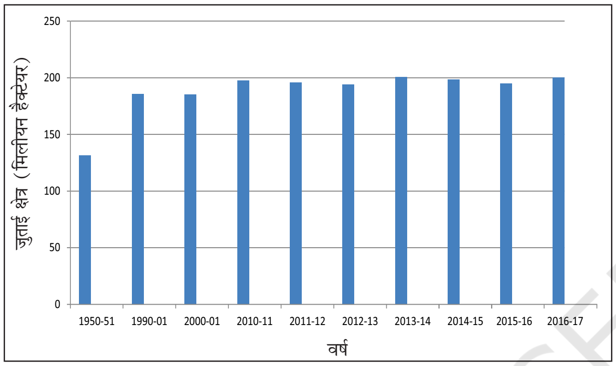

***स्रोत :** पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स 2020, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग*

- आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए :

आपने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था।

1960 के दशक के अंत में **हरित क्रांति** ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों (एच.वाई.वी.) के द्वारा गेहूँ और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में एच.वाई.वी. बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा

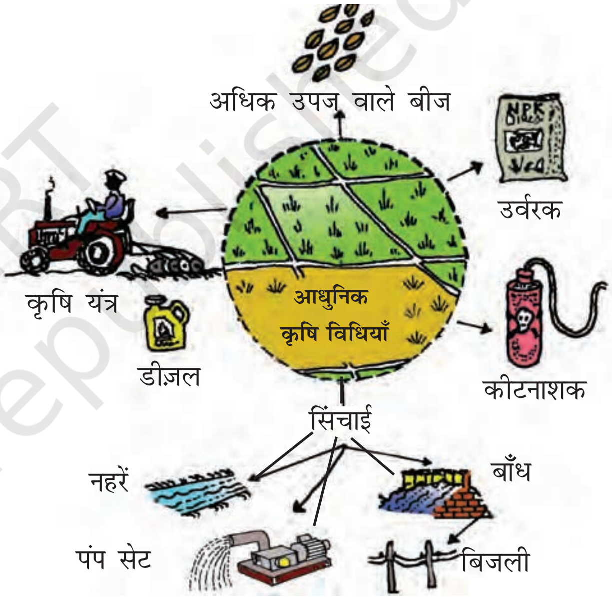

चित्र 1.4 : आधुनिक कृषि के तरीके : एच.वाई.वी. बीज, रासायनिक उर्वरक आदि

फसल का नाम	किस माह में बोयी गई	किस माह में काटी गई	सिंचाई का साधन (वर्षा, तालाब, नलकूप, नहर आदि)

© NCERT not to be republished

मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणामस्वरूप, ज़मीन के उसी टुकड़े में, पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि, अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी।

भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और एच.वाई.वी बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदीं, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज़ कर दिया। उन्हें इनसे गेहूँ की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई।

पालमपुर में, परंपरागत बीजों से गेहूँ की उपज 1,300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। एच.वाई.बी. बीजों से उपज 3, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुँच गई। गेहूँ के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाज़ार में बेचने को अब अधिशेष गेहूँ की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी।

आइए चर्चा करें

- बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है?
- सारणी 1.2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूँ और दालों के उत्पादन को करोड़ टन इकाइयों में दिखाया गया है। इसे एक आरेख बनाकर दिखाइए। क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई? विचार-विमर्श करें।
- आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूँजी क्या है?
- पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की ज़रूरत पड़ती है। क्यों?

सारणी 1.2 : *दालों तथा गेहूँ का उत्पादन (करोड़ टन)*

वर्ष	दालों का उत्पादन	गेहूँ का उत्पादन
1965-66	10	10
1970-71	12	24
1980-81	11	36
1990-91	14	55
2000-01	11	70
2010-11	18	87
2012-13	18	94
2013-14	19	96
2014-15	17	87
2015-16	17	94
2016-17	23	99
2017-18	25	100
2018-19	23	104
2019-20	23	108

स्रोत : *कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग, फरवरी 2019, पॉकेट बुक ऑफ़ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, 2020 डायरेक्टरेट ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फॉर्मर्स वेलफेयर*

सुझाई गईं क्रियाएँ

खेत पर जाने के पश्चात् अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बातें कर यह मालूम कीजिए :

1. आधुनिक या परंपरागत या मिश्रित-खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं? एक टिप्पणी लिखिए।
2. सिंचाई के क्या स्रोत हैं?
3. कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है? (बहुत कम / लगभग आधी / अधिकांश / समस्त)
4. किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं?

3. क्या भूमि यह धारण कर पाएगी?

भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में, हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत् प्रयोग से भौम जल-स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए।

सुझाई गई क्रिया

- अखबारों / पत्रिकाओं से पाठ में दी गई रिपोर्टें पढ़ने के बाद, कृषि मंत्री को यह बताते हुए अपने शब्दों में एक पत्र लिखिए कि कैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हानिकारक हो सकता है।

Rationalised 2023-24

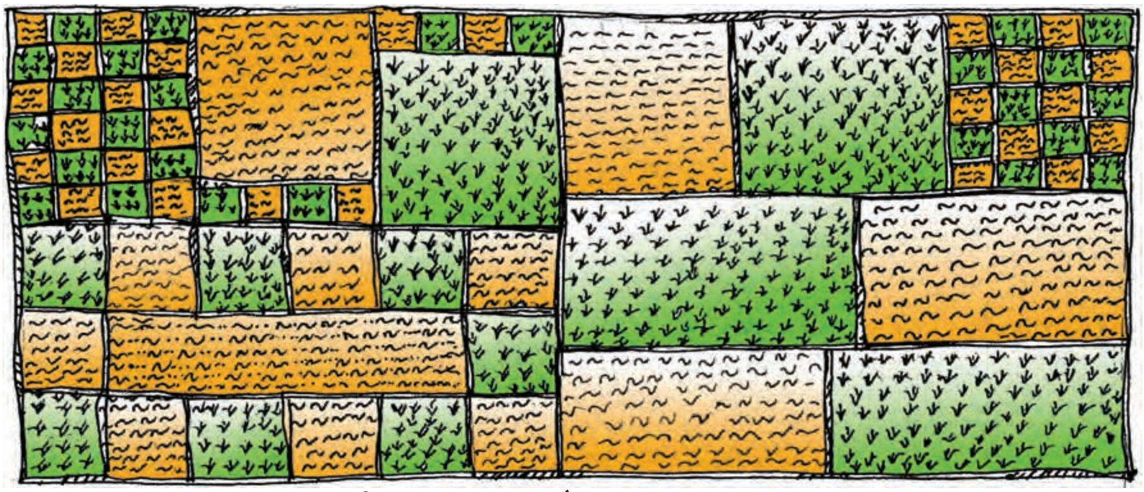

चित्र 1.5 : पालमपुर गाँव : कृषि भूमि का वितरण

...रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन, मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म-अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात्, मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी...
*(**स्रोत :** डाउन टू अर्थ, नयी दिल्ली)*

देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करता पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
*(**स्रोत :** द ट्रिब्यून, चंडीगढ़)*

4. पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है?

आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्त्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात् 150 परिवारों के पास, खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशत: दलित हैं।

बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती।

1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने तीन पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुज़ारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात्, यह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बँट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। परंतु, अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से गुज़ारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूँढ़ना पड़ता है।

चित्र 1.5 में आप एक गाँव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर, गाँव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं, जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है।

© NCERT not to be republished

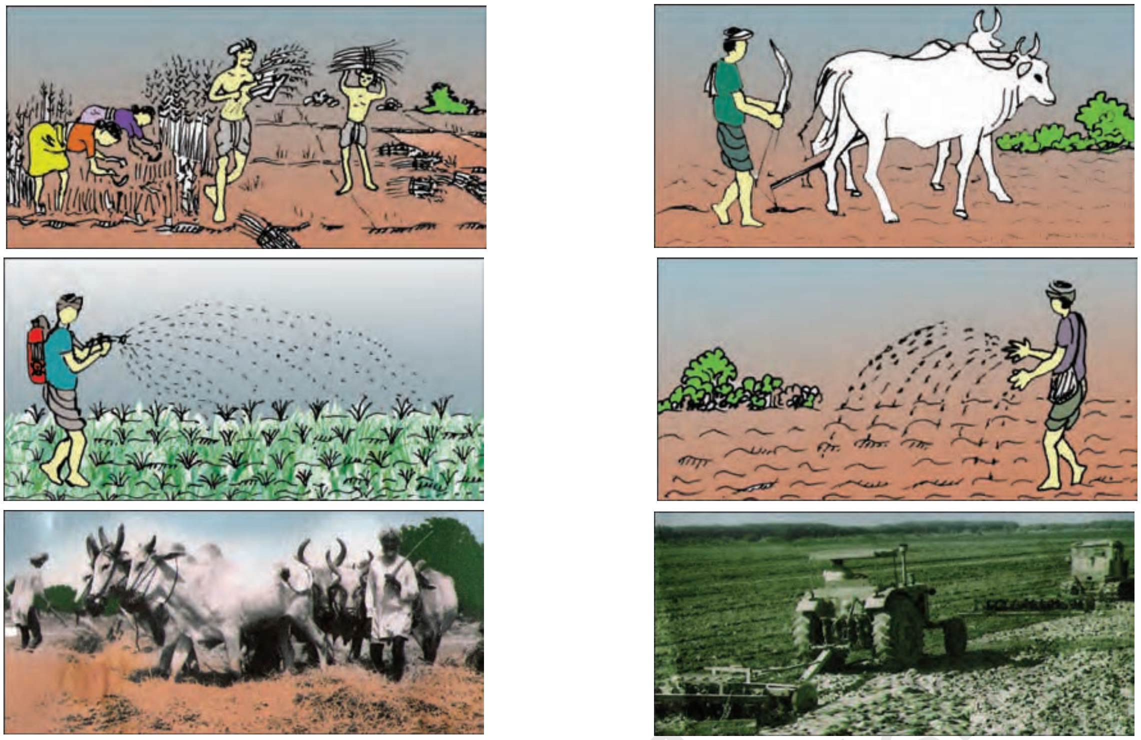

चित्र 1.6 : खेतों में कार्य : गेहूँ की फसल – कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई

आइए चर्चा करें

- चित्र 1.5 में क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो?
- किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के इतने छोटे प्लॉटों पर क्यों खेती करते हैं?
- आरेख 1.1 में भारत में किसानों और उनके द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि का वितरण दिया गया है। इसकी कक्षा में चर्चा करें।

आरेख 1.1 : *कृषि क्षेत्र और कृषकों का वितरण*

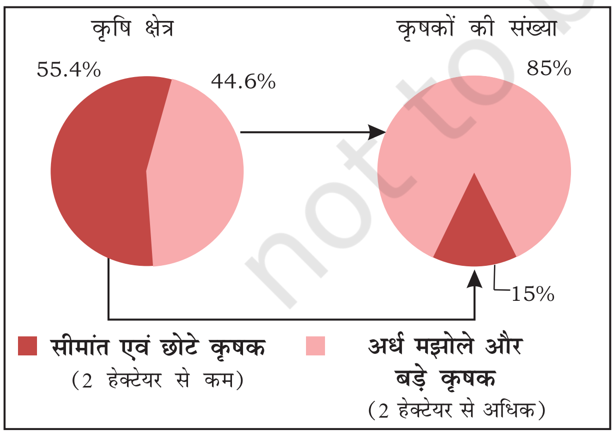

स्रोत : *पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स 2020 एवं स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2020, कृषि सहयोग एवं किसानों के कल्याण विभाग*

आइए चर्चा करें

- क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान है? क्या भारत में भी ऐसी ही स्थिति है? व्याख्या कीजिए।

5. श्रम की व्यवस्था कौन करेगा?

भूमि के पश्चात्, **श्रम** उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह, वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराये पर लगाते हैं।

आइए चर्चा करें

- खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में पहचानिए तथा इनको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई

© NCERT not to be republished

Rationalised 2023-24

चित्र 1.7 : डाला और रामकली के बीच बातचीत। डाला और रामकली गाँव के सबसे निर्धन नागरिक में से हैं।

फसल पर कोई अधिकार नहीं होता, जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मज़दूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मज़दूरी नकद या वस्तु जैसे—अनाज के रूप में हो सकती है। कभी-कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मज़दूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य (जैसे बुआई और कटाई) के लिए अलग-अलग होती है। रोज़गार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएँ हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मज़दूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है।

डाला पालमपुर में दैनिक मज़दूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूँढ़ते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रु. (मार्च 2019) निर्धारित

है। लेकिन, डाला को मात्र 160 रु. ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गाँव के निर्धनतम व्यक्यिों में से हैं।

आइए चर्चा करें

- डाला तथा रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब क्यों हैं?
- गोसाईंपुर और मझौली उत्तर बिहार के दो गाँव हैं। दोनों गाँवों के कुल 850 परिवारों में 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं, जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्य भारतीय गाँवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या (अपनी कल्पना के आधार पर) कर सकते हैं कि गोसाईंपुर और मझोली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते होंगे?

6. खेतों के लिए आवश्यक पूँजी

आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है, अत: अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए।

1. अधिसंख्य छोटे किसानों को पूँजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गाँव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज़ लेते है। ऐसे कर्ज़ों पर ब्याज़ की दर बहुत ऊँची होती है। कर्ज़ चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते है।

सविता की कहानी

सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी एक हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूँ पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त, उसे पानी खरीदने और खेती के औज़ारों की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूँजी के रूप में ही उसे 3000रु. चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज़ लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24 प्रतिशत की दर पर चार महीने के लिए कर्ज़ देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज़ की एक बहुत ऊँची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों मे एक श्रमिक के रूप में 100 रु. प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मज़दूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। तीन बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत ज़िम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज़ मिलना बहुत कठिन है।

2. छोटे किसानों के विपरीत, मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूँजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है? आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएँगे।

अब तक की कहानी...

हमने उत्पादन के तीन कारकों–भूमि, श्रम और पूँजी तथा खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें–

उत्पादन के तीन कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं, जो गाँवों में खेतिहर मज़दूरों के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या........................। उन्हें बहुत कम मज़दूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं।

श्रम के विपरीत,......................उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। कृषि भूमि का क्षेत्र......................है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी......................(समान/असमान) रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि

© NCERT not to be republished

Rationalised 2023-24

के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान .... और .... का उपयोग करते हैं। इन दोनों से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

खेती की आधुनिक विधियों में .... की अत्यधिक आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को सामान्यत: पूँजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज़ चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए, विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूँजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है।

यद्यपि भूमि और पूँजी दोनों दुर्लभ हैं, उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर है। .... प्राकृतिक संसाधन है, जबकि .... मानव निर्मित है। पूँजी को बढ़ाना संभव है, जबकि भूमि स्थिर है। इसलिए, यह बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरह देखभाल करें।

7. अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री

मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूँ पैदा किया है। गेहूँ की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूँ का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूँ रख लेते हैं और अधिशेष गेहूँ को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाज़ार में गेहूँ की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूँ से लदी बाज़ार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाज़ार में व्यापारी गेहूँ खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं।

एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूँ प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूँ को वह रायगंज के बाज़ार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है।

तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज़ देने में किया, जिन्हें कर्ज़ की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से, उसकी स्थिर पूँजी में वृद्धि हो जाएगी।

तेजपाल सिंह की भाँति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूँजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूँजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको गैर-कृषि कार्यों के लिए पूँजी कहते हैं।

पालमपुर में गैर-कृषि क्रियाएँ

हमने देखा की पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर-कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25 प्रतिशत लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं।

1. डेयरी : अन्य प्रचलित क्रिया

पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा (चरी) खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गाँव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहाँ से दूध दूर-दराज़ के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है।

© NCERT not to be republished

आइए चर्चा करें

- हम तीन किसानों के उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक ने अपने खेतों में गेहूँ बोया है, यद्यपि उनका उत्पादन भिन्न-भिन्न है (देखिए स्तंभ 2, 'दूसरा किसान')। प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूँ का उपभोग समान है (देखिए स्तंभ 3, 'तीसरा किसान')। इस वर्ष के समस्त अधिशेष गेहूँ का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूँजी के रूप में किया जाता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन, इसमें प्रयुक्त होने वाली पूँजी का दोगुना होता है। सारणियों को पूरा करें :

पहला किसान

	उत्पादन	उपभोग	अधिशेष-उत्पादन-उपभोग	अगले वर्ष के लिए पूँजी
वर्ष 1	100	40	60	60
वर्ष 2	120	40		
वर्ष 3		40		

दूसरा किसान

	उत्पादन	उपभोग	अधिशेष-उत्पादन-उपभोग	अगले वर्ष के लिए पूँजी
वर्ष 1	80	40		
वर्ष 2		40		
वर्ष 3		40		

तीसरा किसान

	उत्पादन	उपभोग	अधिशेष-उत्पादन-उपभोग	अगले वर्ष के लिए पूँजी
वर्ष 1	60	40		
वर्ष 2		40		
वर्ष 3		40		

- तीनों किसानों के गेहूँ के तीनों वर्षों के उत्पादन की तुलना कीजिए।
- तीसरे वर्ष, तीसरे किसान के साथ क्या हुआ? क्या वह उत्पादन जारी रख सकता है? उत्पादन जारी रखने के लिए उसे क्या करना होगा?

© NCERT not to be republished

2. पालमपुर में लघुस्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण

इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत, पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी-कभार ही किराये पर लिया जाता है।

मिश्रीलाल की कहानी

मिश्रीलाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है, जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्रीलाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रीलाल थोड़ा लाभ कमा लेता है।

आइए चर्चा करें

- मिश्रीलाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूँजी की ज़रूरत पड़ी?
- इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है?
- क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्रीलाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है?
- क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे उसे हानि भी हो सकती है।
- मिश्रीलाल अपना गुड़ गाँव में न बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचता है?

3. पालमपुर के दुकानदार

पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार (वस्तु-विनिमय) नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं, जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएँ खरीदते हैं और उन्हें गाँव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गाँव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथ पेस्ट, बैट्री, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पैन, पैंसिल यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं।

करीम की कहानी

करीम ने गाँव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गाँव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गाँव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाज़ार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएँ प्रारंभ की। हाईस्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया है।

आइए चर्चा करें

- करीम की पूँजी और श्रम किस रूप से मिश्रीलाल की पूँजी और श्रम से भिन्न है?
- इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया? संभावित कारणों की चर्चा कीजिए।

4. परिवहन : तेज़ी से विकसित होता एक क्षेत्रक

पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शावाले, ताँगेवाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले, वे लोग हैं, जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है।

किशोर की कहानी

किशोर एक खेतिहर मज़दूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भाँति किशोर को अपनी मज़दूरी से अपने घर-परिवार की आवश्यकताएँ पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज़ लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज़ दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता

© NCERT not to be republished

Rationalised 2023-24

है। अब उसने अपनी भैंसागाड़ी भी बना ली है, जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन, वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी-कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हरेक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणामस्वरूप, किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है।

आइए चर्चा करें

- किशोर की स्थायी पूँजी क्या है?
- क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूँजी कितनी होगी?
- किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है?
- क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ है?

सारांश

गाँव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है।

खेती की नयी विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूँजी की ज़रूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूँजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर, छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80 प्रतिशत भाग है, पूँजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूँजी नहीं निकाल पाते, अत: उन्हें कर्ज़ लेना पड़ता है। कर्ज़ के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए खेतिहर मज़दूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है।

श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अत: नयी विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होता, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस-पड़ोस के गाँवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गाँव में ही गैर-कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है।

इस समय गाँव में गैर-कृषि क्षेत्रक बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर-कृषि कार्यों में लगे हैं। यद्यपि, गाँव में अनेक प्रकार के गैर-कृषि कार्य होते हैं (हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखें हैं), प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है।

हम चाहेंगे कि भविष्य में गाँव में गैर-कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत, गैर-कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूँजी से भी गैर-कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूँजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है, या फिर कर्ज़ लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज़ ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हों, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर-कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर-कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाज़ार हों, जहाँ वस्तुएँ और सेवाएँ बेची जा सकें। पालमपुर में हमने देखा कि आस-पड़ोस के गाँवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूँ आदि उपलब्ध हैं। जैसे-जैसे ज़्यादा गाँव कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफ़ोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गाँवों में गैर-कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे।

© NCERT not to be republished

Rationalised 2023-24

अभ्यास

1. भारत में जनगणना के दौरान दस वर्ष में एक बार प्रत्येक गाँव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए :
    (क) अवस्थिति क्षेत्र
    (ख) गाँव का कुल क्षेत्र
    (ग) भूमि का उपयोग (हेक्टेयर में)

कृषि भूमि		भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है *(निवास स्थानों, सड़कों, तालाबों, चरागाहों आदि के क्षेत्र)*
सिंचित	असिंचित	
		26 हेक्टेयर

(घ) सुविधाएँ

शैक्षिक	
चिकित्सा	
बाज़ार	
बिजली पूर्ति	
संचार	
निकटतम कस्बा	

2. खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यता होती है, जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है, क्या आप सहमत हैं?
3. पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की?
4. क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है? क्यों?
5. पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए।
6. पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मज़दूरी न्यूनतम मज़दूरी से कम क्यों है?
7. अपने क्षेत्र में दो श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मज़दूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मज़दूरी मिलती है? क्या उन्हें नकद पैसा मिलता है या वस्तु-रूप में ? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज़ में हैं?
8. एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग-अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए।
9. एक हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए।
10. मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूँजी प्राप्त करते है? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है?

© NCERT not to be republished

11. सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है? क्या ब्याज़ की कम दर पर बैंक से कर्ज़ मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती?

12. अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए (वैकल्पिक)।

13. आपके क्षेत्र में कौन से गैर-कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं? इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए।

14. गाँवों में और अधिक गैर-कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है?

संदर्भ

एटीन, गिल्बर्ट, 1985, *रूरल डेवलपमेंट इन एशिया : मीटिंग्स विद पीजेंट्स*, सेज पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली।

एटीन, गिल्बर्ट, 1988, *फ़ूड एंड पावर्टी : इंडियाज़ हाफ़ वन बैटल*, सेज पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली।

राज, के.एन., 1991, *विलेज इंडिया एंड इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमी*, सी.टी. कुरियन द्वारा संपादित *इकोनॉमी, सोसायटी एंड डेवलेपमेंट*, सेज पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली।

थार्नर, डेनियल एंड थार्नर, एलीस, 1962, *लैंड एंड लेबर इन इंडिया*, एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुंबई।

एच टी टी पी://इकनॉमिक्स टाइम्स, इंडिया टाइम्स, कॉम/न्यूज़/पॉलिसी/गवर्नमेंट-टाइम्स-मिनिमम-वेज-फोर-एग्रीकल्चर-लेबरर/आर्टिकलशो/57408252, सी.एम.एस.

© NCERT not to be republished

Rationalised 2023-24

2
अध्याय

0971CH02

संसाधन के रूप में लोग

अवलोकन

'संसाधन के रूप में लोग' अध्याय जनसंख्या की, अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में, व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूँजी में बदल जाती है। वास्तव में, **मानव पूँजी** कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है।

परिचय

'संसाधन के रूप में लोग' वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना **सकल राष्ट्रीय उत्पाद** के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भाँति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है–'एक मानव संसाधन'। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्राय: उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुँच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे **मानव पूँजी निर्माण** कहते हैं, जो भौतिक पूँजी निर्माण की ही भाँति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है।

मानव पूँजी में निवेश (शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा) भौतिक पूँजी की ही भाँति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षत: देखा जा सकता है।

भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूँजी के महत्त्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है।

स्रोत : *योजना आयोग, भारत सरकार*

© NCERT not to be republished

Rationalised 2023-24

चित्र 2.1 : मानव पूँजी

आइए चर्चा करें

- चित्र 2.1 को देख कर क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तथा दर्ज़ी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ति हैं?

उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुँचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वास्थ्य सेवाएँ उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में, मानव पूँजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे, भूमि और भौतिक पूँजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूँजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूँजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते।

अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। लेकिन, यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूँजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है (उदाहरण के लिए, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा)।

निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं :

सकल की कहानी

दो मित्र विलास और सकल एक ही गाँव सेमापुर में रहते थे। सकल की आयु बारह वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का काम-काज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घर के काम-काज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े-लिखे। वे उस पर गाँव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए ज़ोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राज़ी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज़ लिया। सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात् उसे एक प्राइवेट फ़र्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ़्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। इस सॉफ़्टवेयर से फ़र्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी।

© NCERT not to be republished

Rationalised 2023-24

चित्र 2.2 : विलास एवं सकल की कहानियाँ

विलास की कहानी

विलास ग्यारह वर्ष का एक लड़का था और वह सकल के ही गाँव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल दो वर्ष का था, तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला-पोसा। वह ज़मींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय पश्चात् उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गाँव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था।

आइए चर्चा करें

- क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर पाते हैं? वे कौन से अंतर हैं?

क्रियाकलाप

पास के किसी गाँव या झुग्गी इलाके में जाएँ और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें, जो विलास या सकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा हो।

इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था, जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार-बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फ़र्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा, जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह, परिवार को पालने-पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी।

सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की संवृद्धि में योगदान देती है। इसके

© NCERT not to be republished

बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भाँति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता। इसीलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था।

मानव संसाधन में (शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा) निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूँजी में निवेश की ही तरह है।

एक बच्चा भी, जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ–बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्त्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत, स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधावंचित स्थिति में रहने वाले माँ–बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं।

जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी / विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूँजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उसी से ये देश धनी / विकसित बने।

पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप

विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था और सकल को एक फ़र्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रकों–प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण शामिल है। तृतीयक क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएँ इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य–वर्धन करते हैं। ये क्रियाएँ आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं– बाज़ार क्रियाएँ और गैर–बाज़ार क्रियाएँ। बाज़ार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर–बाज़ार क्रियाओं से अभिप्राय स्व–उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें

चित्र 2.3 : क्या आप इस चित्र के आधार पर क्रियाकलापों को तीन क्षेत्रकों में वर्गीकृत कर सकते हैं?

Rationalised 2023-24

प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है।

क्रियाकलाप

अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गाँव अथवा कॉलोनी में जाएँ और उस गाँव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें।

अगर यह संभव नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है? उनके काम को आप तीन क्षेत्रकों में से किस क्षेत्रक में रखेंगे?

बताइए कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएँ हैं या गैर-आर्थिक:

विलास गाँव के बाज़ार में मछली बेचता है।

विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है।

सकल एक प्राइवेट फ़र्म में काम करता है।

सकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएँ घर के काम-काज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ़ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफ़ाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाज़ार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं।

शीला परिवार के पालन-पोषण के लिए जो सेवाएँ प्रदान करती है, उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है, जिसे वह परिवार के पालन-पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता।

विलास की माँ गीता मछली बेच कर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है, जब वे श्रम-बाज़ार में प्रवेश करती हैं। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय, उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाज़ार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएँ वहाँ काम करती हैं, जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोज़गार और निम्न आय इस क्षेत्रक की विशेषताएँ हैं। इस क्षेत्रक में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। तथापि, उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्रक में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि वह क्या बनना चाहती है?

जनसंख्या की गुणवत्ता

जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता-दर, जीवन-प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की संवृद्धि-दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं।

शिक्षा

अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नयी आकांक्षाएँ दीं और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए, बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि

© NCERT not to be republished

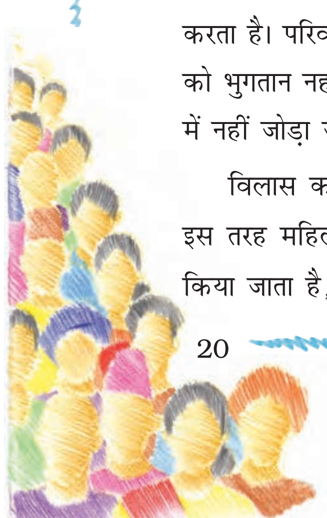

चित्र 2.4 : विद्यालय के छात्र-छात्रा

...व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानीपूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न शृंखला है। ...इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए।

स्रोत : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

करती है और प्रशासन की कार्य-क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुँच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष ज़ोर दिया गया है। प्रत्येक ज़िले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगतिनिर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएँ विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2020-2021 में 99,300 करोड़ रुपये हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 3.1 प्रतिशत (बजटीय अनुमान) हो गया है। इसके बाद, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज (भारतीय रिजर्व बैंक) के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2020-21

आरेख 2.1 : *भारत में साक्षरता-दर*

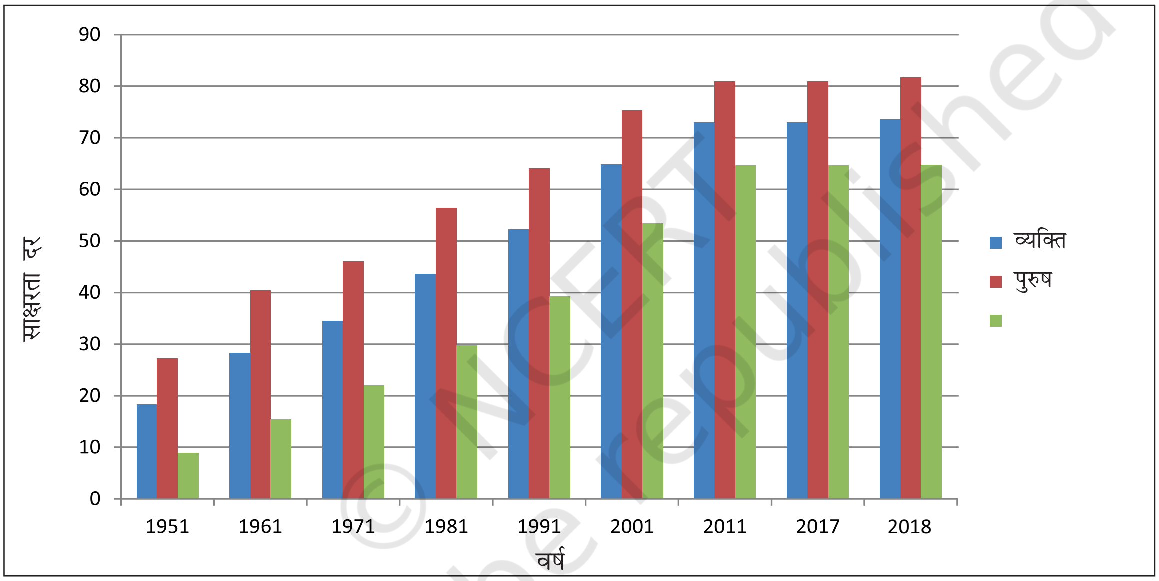

स्रोत : *भारत की जनगणना, महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2021*
censusofindia2021.com/literacy-rate-of-india

आइए चर्चा करें

आरेख 2.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें:

- क्या 1951 से जनसंख्या की साक्षरता-दर बढ़ी है?
- किस वर्ष भारत में साक्षरता-दर सर्वाधिक रही?
- भारत में पुरुषों में साक्षरता-दर अधिक क्यों है?
- पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ कम शिक्षित क्यों हैं?
- आप भारत में लोगों की साक्षरता-दर का परिकलन कैसे करेंगे?
- 2025 में भारत की साक्षरता-दर का आपका पूर्वानुमान क्या है?

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप

अपने विद्यालय या अपने पड़ोस के सहशिक्षा विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की गणना करें। अपने स्कूल प्रशासक से कहें कि वे आपको लड़के और लड़कियों की संख्या के आँकड़े उपलब्ध कराएँ। अगर उनमें कोई अंतर है, तो उसका अध्ययन करें और कक्षा में उसका कारण समझाएँ।

में घटकर 2.8 प्रतिशत बताया गया है। इससे साक्षरता-दर 1951 के 18 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 85 प्रतिशत हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि, जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता-दर करीब 16 प्रतिशत अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता-दर करीब 14.2 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ ज़िलों में साक्षरता-दर 94 प्रतिशत है जबकि बिहार में 62 प्रतिशत ही है। वर्ष 2019-20 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 7,78,842 लाख से भी अधिक गाँवों में फैली है। दुर्भाग्यवश, स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में **सर्वशिक्षा अभियान** एक महत्त्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और **प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य** को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए 'सेतु-पाठ्यक्रम' और 'स्कूल लौटो शिविर' प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए **दोपहर के भोजन** की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

बारहवीं योजना में उच्च शिक्षा में 18-23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 27 प्रतिशत तक की वृद्धि 2018 में रही। यह विश्व औसतन 26 प्रतिशत से मिलती-जुलती है। यह रणनीति पहुँच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठयक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 2019-20 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को सारणी 2.1 में देखें:

सारणी 2.1 : *उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या, नामांकन तथा संकाय*

वर्ष	महाविद्यालयों की संख्या	विश्वविद्यालयों की संख्या	विद्यार्थी	शिक्षक युनिवर्सिटी एवं कॉलेज
1950-51	750	30	2,63,000	24,000
1990-91	7,346	177	49,25,000	2,72,000
1998-99	11,089	238	74,17,000	3,42,000
2010-11	33,023	523	1,86,70,050	8,16,966
2012-13	37,204	628	2,23,02,938	9,25,396
2014-15	40,760	711	2,65,85,437	12,61,350
2015-16	41,435	753	2,84,84,746	14,38,000
2016-17	42,338	795	2,94,27,158*	14,70,190*
2017-18	41,012	851	3,66,42,378	12,84,957
2018-19	39,931	993	3,73,99,388	14,16,299
2019-20	44,374	1,236	3,82,75,207	12,07,204

स्रोत : *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 www.ugc.ac.in_annual report.2019-20.pdf*

*अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध अनंतिम गणना

© NCERT not to be republished

आइए चर्चा करें

सारणी 2.1 की कक्षा में चर्चा करें तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दें :

- क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलेजों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है?
- क्या आप सोचते हैं कि हमें विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए?
- वर्ष 1950–51 से वर्ष 1998–99 तक शिक्षकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है?
- भावी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बारे में आपका क्या विचार है?

स्वास्थ्य

फ़र्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फ़र्म ऐसे व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिए प्रेरित होगी, जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएँ?

किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री/पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में, स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुँच को बेहतर बनाना है। पिछले पाँच दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रकों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारिक संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है।

चित्र 2.5 : स्वास्थ्य की जाँच के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए बच्चे

इन उपायों को अपनाने से **जीवन प्रत्याशा** बढ़ कर वर्ष 2016 में 69.4 वर्ष अधिक हो गई है। **शिशु मृत्यु-दर*** 1951 के 147 से घटकर 2020 में 36 पर आ गई है। इसी अवधि में अशोधित **जन्म दर** गिर कर 20.0 (2018) और **मृत्यु-दर** 6.2 (2018) पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को, भावी प्रगति के साथ, आँकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु-दर घटती है।

स्रोत : *नेशनल हैल्थ प्रोफाइल, 2021 mohfw.gov.in*
"ऑफिस ऑफ़ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन इंडिया, MoHA"
(एक्सेस्ड ऑन 29/09/2021)

आइए चर्चा करें

सारणी 2.2 को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

- 1951 से 2020 तक औषधालयों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
- 1951 से 2020 तक डॉक्टरों और नर्सिंगकर्मियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

*शिशु मृत्यु-दर से अभिप्राय एक वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है।
**जन्म-दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति एक हज़ार व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है।
***मृत्यु-दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति एक हज़ार व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से है।

© NCERT not to be republished
Rationalised 2023-24

सारणी 2.2 : संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारिक संरचना

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
H	उपकेंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	1,82,709	1,84,359	1,85,933	1,87,505	1,89,784	1,78,548
	औषधालय तथा अस्पताल	29,715	29,957	30,044	31,641	31,733	31,986 आयुष प्रबंधन के अंतर्गत
	बिस्तर (सरकारी)	6,75,779	7,54,724	6,34,879	7,10,761	7,13,986	8,18,396
	भारतीय चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत डॉक्टर	36,355	41,711	44,934	43,581	22,567 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में	29,799 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में
	नर्सिंगकर्मी (ए.एन.एम + आर एन एवं आर एम + एल.एच.वी)	26,21,981	26,39,229	27,78,248	28,78,182	29,66,375	12,01,393 (2020)

एस.सी– उपकेन्द्र, पी.एच.सी– प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सी.एच.सी– सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ए.एन.एम– सहायक नर्स दाई, आर.एन. और आर.एम– पंजीकृत नर्स और पंजीकृत दाई, एल.एच.वी– महिला स्वास्थ्य आंगतुक

***स्रोत :** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल 2016, 2017, 2018, 2020 केन्द्रीय स्वास्थ्य गुप्तचर ब्यूरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।*

- क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों और नर्सों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्यों?
- किसी अस्पताल में आप और कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध कराना चाहेंगे?
- आप हाल में जिस अस्पताल में गए, उस पर चर्चा करें।
- इस सारणी का प्रयोग करते हुए क्या आप एक आरेख बना सकते हैं?

क्रियाकलाप

आप निकट के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में जाएँ और निम्नलिखित विवरण नोट करें–

जिस अस्पताल में आप गए, उसमें कितने बिस्तर हैं?

अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं?

अस्पताल में कितनी नर्सें कार्यरत हैं?

इसके अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएँ एकत्रित करने का प्रयास करें :

आपके इलाके में कितने अस्पताल हैं?

आपके इलाके में कितने औषधालय हैं?

भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएँ भी नहीं हैं। भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेन्टल कालेज हैं केवल चार राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं।

बेरोज़गारी

सकल की माँ शीला अपने घरेलू काम-काज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने-फिरने में गुज़ारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोज़गार कह सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती है, जब प्रचलित मज़दूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोज़गार नहीं पा सकें। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम-शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती और न ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोज़गार कहा
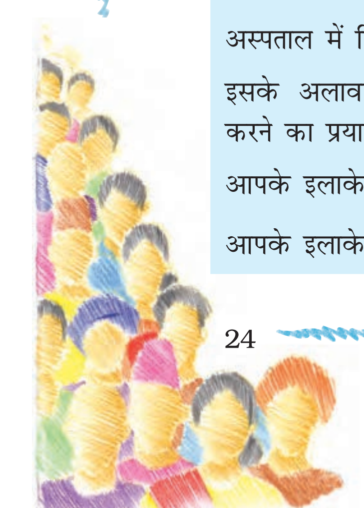
Rationalised 2023-24

जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं, जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते। इसलिए उन्हें बेरोज़गार नहीं कहा जा सकता। सकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है। वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है। उसे भी बेरोज़गार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा–दादी और नाना–नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोज़गार नहीं कहा जा सकता।

भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी है। तथापि, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में **मौसमी** और **प्रच्छन्न बेरोज़गारी** है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशत: **शिक्षित बेरोज़गारी** है।

मौसमी बेरोज़गारी तब होती है, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता।

प्रच्छन्न बेरोज़गारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है, जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय: कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में पाँच लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें आठ लोग लगे होते हैं। इनमें तीन लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते है जिस पर पाँच लोग काम करते है। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान पाँच लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर तीन लोगों को हटा दिया जाए, तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में पाँच लोगों के काम की आवश्यकता है और तीन अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोज़गार होते हैं।

शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोज़गारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोज़गार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोज़गारी अधिक तेज़ी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति–स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक ओर तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोज़गारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है।

बेरोज़गारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण–पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ, जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोज़गार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है।

बेरोज़गारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोज़गारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन–निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है, तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है।

इसलिए, किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोज़गारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोज़गारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है, जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका, तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएँगे।

सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोज़गारी की दर निम्न है। बडी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं। इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते। वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं।

© NCERT not to be republished

इसके अतिरिक्त, प्राथमिक क्षेत्रक में स्वरोज़गार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्रक

चित्र 2.6 : क्या आपको स्मरण है कि जब आपने अपने जूते या चप्पल ठीक कराए थे, तो कितना भुगतान किया था?

में प्रच्छन्न बेरोज़गारी होती है। लेकिन, जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। लेकिन, इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोज़गार की तलाश में गाँवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं।

आइए, उपरोक्त तीनों क्षेत्रकों में रोज़गार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोज़गारी के कारण, कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में चला गया है। द्वितीयक क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीयक क्षेत्रक में जैव-प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नयी सेवाएँ सामने आ रही हैं।

आइए, यह जानने के लिए एक कहानी पढ़ें कि कैसे लोग अपने गाँव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं।

एक गाँव की कहानी

एक गाँव था, जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा-पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएँ स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात्, वह कृषि-इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गाँव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूँ की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गाँव में ऐग्रो-इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गाँव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गाँव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बाँट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात् गाँव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गाँव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गाँव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात्, गाँव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गाँव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह, दर्ज़ी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा।

© NCERT not to be republished

किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएँ थीं। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गाँव के बाज़ार में आते थे। समय के साथ वह गाँव, जहाँ प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था—शिक्षक, दर्ज़ी, ऐग्रो-इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गाँव की कहानी थी, जहाँ मानव पूँजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया।

सारांश

आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगतें किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती हैं। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। हमने बेरोज़गारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। अंततः अध्याय एक गाँव की कहानी के साथ समाप्त होता है जिसमें पहले कोई रोज़गार नहीं था, पर बाद में वहाँ रोज़गार के अनेक अवसर उत्पन्न हो गए।

अभ्यास

1. 'संसाधन के रूप में लोग' से आप क्या समझते हैं?
2. मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूँजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है?
3. मानव पूँजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है?
4. मानव पूँजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है?
5. किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है?
6. प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएँ संचालित की जाती हैं?
7. आर्थिक और गैर-आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है?
8. महिलाएँ क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं?
9. 'बेरोज़गारी' शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे?
10. प्रच्छन्न और मौसमी बेरोज़गारी में क्या अंतर है?
11. शिक्षित बेरोज़गारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है?
12. आप के विचार से भारत किस क्षेत्रक में रोज़गार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है?
13. क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोज़गारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं?
14. क्या आप कुछ ऐसे गाँवों की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पहले रोज़गार का कोई अवसर नहीं था, लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया?
15. किस पूँजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं—भूमि, श्रम, भौतिक पूँजी और मानव पूँजी? क्यों?

© NCERT not to be republished

Rationalised 2023-24

संदर्भ

आर्थिक सर्वेक्षण 2004-05, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली।

दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 का मध्यावधि मूल्यांकन, भाग-2, योजना आयोग, नयी दिल्ली।

दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07, योजना आयोग, नयी दिल्ली।

भारत दर्शन 2020, प्रतिवेदन, योजना आयोग, भारत सरकार, नयी दिल्ली।

गैरी, एस. बेकर, 1966, *ह्यूमन कैपीटल : ए थ्योरिटिकल एंड एंपिरिकल एनालिसिस विद स्पेशल रेफरेंस टू एजूकेशन*, जनरल सीरीज़, नंबर 80, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकानामिक रिसर्च, न्यूयार्क।

थ्योडोर, डब्ल्यू. शुल्टज़, इंवैस्टमेंट इन ह्यूमन कैपीटल, *अमेरिकन इकानॉमिक रिव्यू*, मार्च 1961.

एन.सी.ई.आर.टी. 2016, *विद्यालयों के लिये अर्थशास्त्र का शब्दकोश (त्रिभाषी)* पृ० 62

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017), योजना आयोग, नयी दिल्ली।

© NCERT not to be republished

3
अध्याय

0971CH03

निर्धनता : एक चुनौती

अवलोकन

इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात् यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है।

परिचय

अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गाँवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण-स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल-श्रमिक भी। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में, देश का हर पाँचवा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलीयन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है।

निर्धनता के दो विशिष्ट मामले

शहरी निर्धनता

तैंतीस वर्षीय रामसरन झारखंड में राँची के निकट गेहूँ के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोज़गार मिलता है, तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह छह सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के चार बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप

चित्र 3.1 : रामसरन की कहानी

© NCERT not to be republished

Rationalised 2023-24

गाँव में रह रहे अपने बूढ़े माता-पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हज़ारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराये पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक कामचलाऊ झोंपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में दो बार दाल और चावल का अल्प-भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास दो जोड़े फटे-पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं, जब पुराने बिलकुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प-पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं, तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती।

ग्रामीण निर्धनता

लक्खा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गाँव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे-मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्ज़ी ही मिल पाती है। आठ सदस्यों का परिवार हमेशा दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लक्खा सिंह गाँव के बाहर एक कच्ची झोंपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएँ पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियाँ बीनने में ही गुज़ार देती हैं। उसके पिता की, जो तपेदिक के मरीज़ थे, चिकित्सा के अभाव में दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे-धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लक्खा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है।

चित्र 3.2 : लक्खा सिंह की कहानी

निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबद्ध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें :

- भूमिहीनता
- बेरोज़गारी
- परिवार का आकार
- निरक्षरता
- खराब स्वास्थ्य / कुपोषण
- बाल-श्रम
- असहायता

© NCERT not to be republished

ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है, जब माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफ़ाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोज़गार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता।

अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा, जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा।

सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता

चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं, जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोज़गार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है (देखें बाक्स)।

सामाजिक अपवर्जन

इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं, जिनका उपभोग दूसरे (उनसे 'अधिक अच्छे') करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति-व्यवस्था की कार्य-शैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार, सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुँचा सकता है।

असुरक्षा

निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों (जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य) या व्यक्तियों (जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा, इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं (भूकंप, सुनामी), आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में, जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है।

निर्धनता रेखा

निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतया 'निर्धनता रेखा' की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी

© NCERT not to be republished

व्यक्ति को निर्धन माना जाता है, यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे 'न्यूनतम स्तर' से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएँ विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। अत: काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है।

भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएँ जैसे–अनाज, दालें, सब्ज़ियाँ, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएँ बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अत: ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रतिव्यक्ति मौद्रिक व्यय को, कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011–12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया था। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार, वर्ष 2011–12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला पाँच सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा, यदि उसकी आय लगभग 4,080 रुपये प्रतिमाह से कम है। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय-समय पर (सामान्यत: हर पाँच वर्ष पर) प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन** अर्थात् नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइज़ेशन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा कराए जाते हैं, तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे \$1.9 (2011 पी.पी.पी.) प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर।

आइए चर्चा करें

- विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं?
- आपके अनुसार आपके क्षेत्र में 'न्यूनतम आवश्यक स्तर' क्या होगा?

निर्धनता के अनुमान

तालिका 3.1 से यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993–94 में लगभग 45 प्रतिशत से वर्ष 2004–05 में 37.2 प्रतिशत तक महत्त्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011–12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिर कर 22 प्रतिशत पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20 प्रतिशत से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दो दशकों (1973–93) में गिरा है, निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004–05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011–12 जिसमें औसतन गिरावट 2.2 प्रतिशत वर्ष 2004–05 से 2011–12 के बीच में हुई है।

© NCERT not to be republished

तालिका 3.1 : भारत में निर्धनता के अनुमान (तेंदुलकर कार्यप्रणाली)

	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत)			निर्धनों की संख्या (करोड़)		
वर्ष	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त योग
1993-94	50	32	45	329	75	404
2004-05	42	26	37	326	81	407
2009-10	34	21	30	278	76	355
2011-12	26	14	22	217	53	270

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2018 (भारत की संख्या, इंडिया इन फिगर्स, 2018)
niti.gov.in/state-statistics (एक्सेस्ड ऑन 15 नवंबर, 2021)

आइए चर्चा करें

तालिका 3.1 का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- 1993-94 और 2004-05 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही?
- क्या भारत में निर्धनता में कमी की गतिकि ग्रामीण और शहरी भारत में समान है?

असुरक्षित समूह

निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार, आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मज़दूर परिवार हैं। निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है, अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34 प्रतिशत अनियत मज़दूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34 प्रतिशत अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधावंचित सामाजिक समूहों

आरेख 3.1 : भारत में निर्धनता, 2011-12 सर्वाधिक असुरक्षित समूह

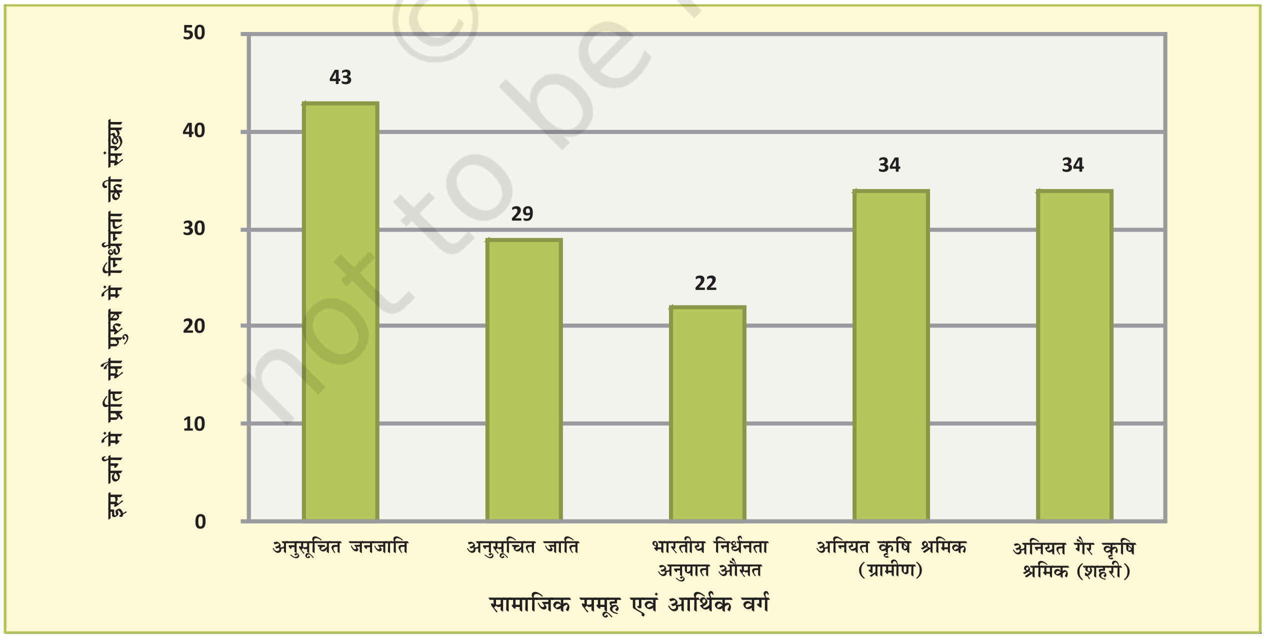

स्रोत: *www.worldbank.org/2016/India-s-poverty-profile (एक्सेस्ड ऑन 29/09/2021)*

चित्र 3.3 : शिवरमन की कहानी

का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़ कर अन्य सभी तीनों समूहों (अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मज़दूर परिवार) में निर्धनता में कमी आई है।

इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित किया जाता है।

शिवरमन की कहानी

शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गाँव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजलीकरघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गाँव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आर्युथांथियार (मोची) जाति का है और अब वह 160 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतिहर मज़दूर के रूप में काम करता है। लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र पाँच या छह महीने मिलता है। अन्य समय में वह गाँव में दूसरे छोटे-मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है। लेकिन इन दिनों उसे कभी-कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है, उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। परिवार में आठ सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ

Rationalised 2023-24

बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने चार बच्चे हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से तीन लड़कियाँ हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएँ खरीदना विलासिता है और उसके बस से बाहर है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूँढ़ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को दो जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है, शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी-कभी दूध खरीद लेता है।

आइए चर्चा करें

अपने आस-पास के कुछ निर्धन परिवारों का अवलोकन करें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि :

- वे किस सामाजिक और आर्थिक समूह से संबद्ध हैं?
- परिवार में कमाने वाले सदस्य कौन हैं?
- परिवार में वृद्धों की स्थिति क्या है?
- क्या सभी बच्चे (लड़के और लड़कियाँ) विद्यालय जाते हैं?

अंतर्राज्यीय असमानताएँ

भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात 22 प्रतिशत है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं ओडिशा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। जैसा कि आरेख 3.2 दर्शाता है, बिहार और ओडिशा क्रमशः 33.7 और 32.6 प्रतिशत निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है।

इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है।

वैश्विक निर्धनता परिदृश्य

विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता (विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $ 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना) में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36 प्रतिशत से गिर कर 2015 में 10 प्रतिशत हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहत क्षेत्रीय भिन्नताएँ पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3 प्रतिशत से घट कर 2008 में 14.7 प्रतिशत और वर्ष 2019 में 0.6 प्रतिशत रह गई है। दक्षिण एशिया के देशों (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बाँग्ला देश, भूटान) में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34 प्रतिशत से गिरकर 2014 में 15.2 प्रतिशत हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई, जो 2005 में 510.4 मिलीयन से घट कर 2013 में 274.5 मिलीयन रह गई है। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है।

© NCERT not to be republished

Rationalised 2023-24

आरेख 3.2 : *भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात, (2011 जनगणना के अनुसार)*

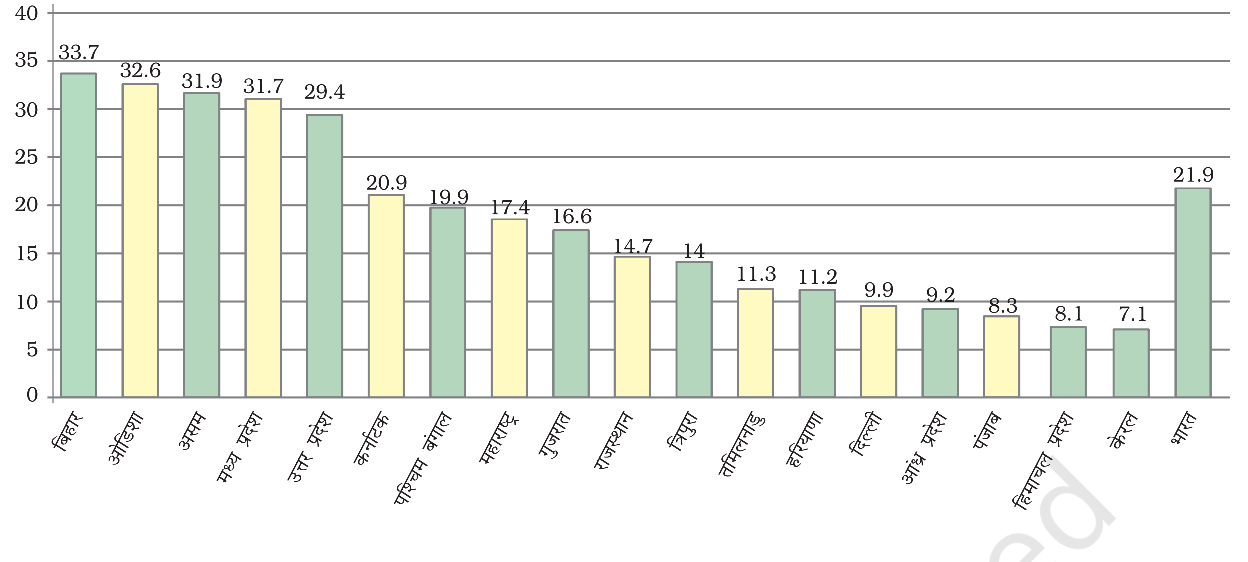

स्रोत : *आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, भारत सरकार*

© NCERT not to be republished

आइए चर्चा करें

आरेख का अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य करें :

- तीन राज्यों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है।
- तीन राज्यों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात सबसे कम है।

सब-सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51 प्रतिशत से घटकर 2018 में 40.2 प्रतिशत हो गई है (आरेख 3.3 देखें)। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10 प्रतिशत से गिर कर 2018 में 4 प्रतिशत रह गई है। (देखें आरेख 3.3) रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुन: व्याप्त हो गई, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। तालिका 3.2 अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा (अर्थात $ 1.9 डालर प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या) की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नये सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है।

आइए चर्चा करें

आरेख 3.4 का अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य करें :

- विश्व के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है।
- विश्व के उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ निर्धनों की संख्या सर्वाधिक है।

तालिका 3.2 : *निर्धनता हैडकांउट अनुपात : कुछ चुनिंदा देशों के बीच तुलना*

देश	प्रतिदिन $ 1.9 से कम पाने वालों की संख्या
1. नाइजीरिया	39.1 (2018)
2. बाँग्लादेश	14.3 (2016)
3. भारत	22.5 (2011)
4. पाकिस्तान	4.4 (2018)
5. चीन	0.5 (2016)
6. ब्राज़ील	4.6 (2019)
7. इंडोनेशिया	2.7 (2019)
8. श्रीलंका	0.9 (2016)

स्रोत : *विश्व बैंक के आँकड़े (एक्सेस्ड ऑन 01/10/2021)*

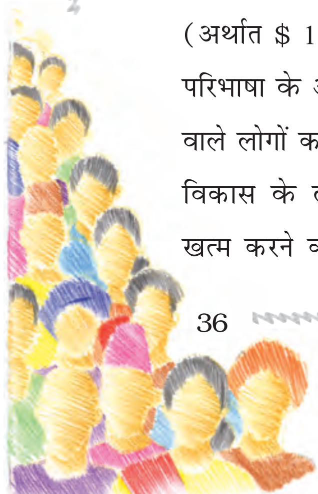

***आरेख 3.3 :** प्रतिदिन $ 1.9 पर जीवनयापन करने वाले लोग (2005-2019)*

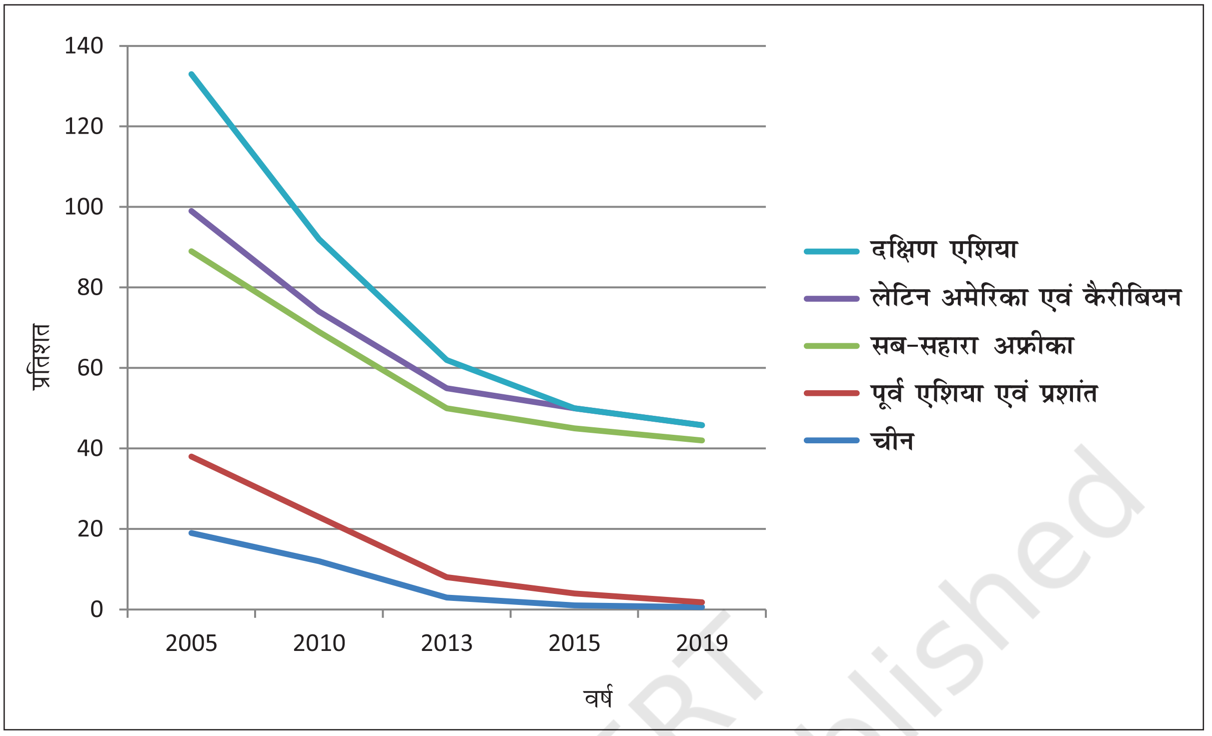

***स्रोत :** विश्व बैंक के आँकड़े, 2019*

***आरेख 3.4 :** क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या ($ 1.90 प्रतिदिन) मिलियन*

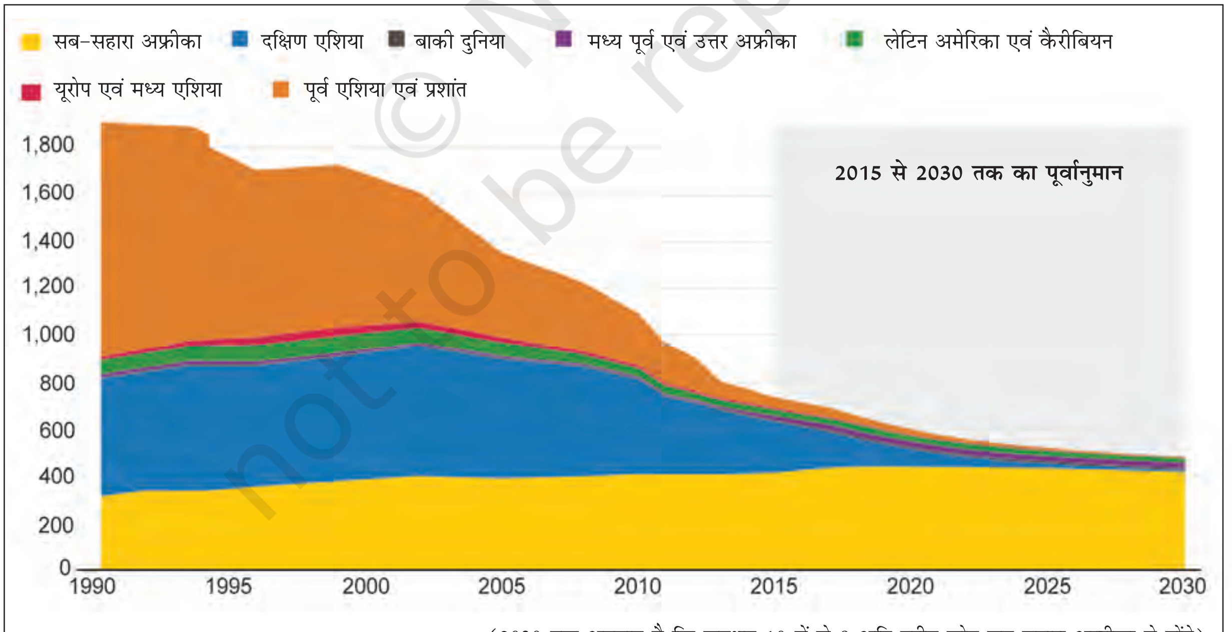

(2030 तक अनुमान है कि लगभग 10 में से 9 अति गरीब लोग सब सहारा अफ्रीका मे होंगे)

***स्रोत :** वर्ल्ड बैंक पॉवकलनेट और पावर्टी एंड इक्विटी डेटा पोर्टल*
(http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database)

निर्धनता के कारण

भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणामस्वरूप रोज़गार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ-साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रतिव्यक्ति आय की संवृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण, दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा।

सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्रक में रोज़गार के अनेक अवसर सृजित हुए। लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोज़गार उपलब्ध कराए। लेकिन ये रोज़गार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महँगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएँ जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई।

उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद, हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति-पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूँकि भारत में भूमि-संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है, इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अतिनिर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज़ लेते हैं। निर्धनता के चलते पुन: भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत: अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है।

निर्धनता-निरोधी उपाय

निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता-निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों (1) **आर्थिक संवृद्धि** को प्रोत्साहन और (2) **लक्षित निर्धनता-निरोधी** कार्यक्रमों पर निर्भर है।

1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिव्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45 प्रतिशत का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक संवृद्धि-दर विश्व में सबसे अधिक रही। संवृद्धि-दर 1970 के दशक के करीब 3.5 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6 प्रतिशत के करीब पहुँच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक संवृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक संवृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि, यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्रक में संवृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गाँव में रहता है और कृषि पर आश्रित है।

इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता-निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएँ हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभिनियम 2005 (मनरेगा)** का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिये हर घर के लिये मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिये उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत् विकास में, मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत एक-तिहाई रोजगार महिलाओं के लिये सुरक्षित किया गया है।

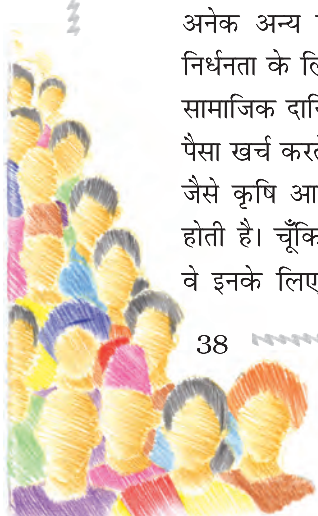

© NCERT not to be republished

इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रतिव्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमश: 23 प्रतिशत, 17 प्रतिशत एवं 53 प्रतिशत हैं औसतन रोजगार वर्ष 2006–07 में 65 रुपये से बढ़ाकर 132 रुपये वर्ष 2013–14 में कर दिया गया है। हाल ही में, मार्च 2018 में, विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिये मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा-परिसर - ₹ 281/- प्रतिदिन (हरियाणा के श्रमिकों के लियें) से ₹ 168/- प्रतिदिन (बिहार और झारखण्ड के श्रमिकों के लिये) तय की गई है। केंद्र सरकार **राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष** भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए **राज्य रोज़गार गारंटी कोष** की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोज़गार भत्ते का हकदार होगा। एक और महत्त्वपूर्ण योजना **राष्ट्रीय काम के बदले अनाज** कार्यक्रम है जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 ज़िलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है, जिन्हें मज़दूरी पर रोज़गार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार एन.आर.ई.जी.ए. लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज (एन.एफ.डब्ल्यू.पी.) का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा।

प्रधानमंत्री रोज़गार योजना एक अन्य योजना है, जिसे 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के लिए स्वरोज़गार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। **ग्रामीण रोज़गार सृजन** कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोज़गार के अवसर सृजित करना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोज़गार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। **स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना** का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता-प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायिकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना** (2000 में आरंभ) के अंतगत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और महत्त्वपूर्ण योजना **अंत्योदय अन्न योजना** है, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे।

इन कार्यक्रमों के मिले-जुले परिणाम हुए हैं। उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त, कुछ योजनाएँ परस्पर-व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र, निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए, हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है।

भावी चुनौतियाँ

भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले दस से पंद्रह वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यत: उच्च आर्थिक संवृद्धि, सर्वजनीन नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा पर ज़ोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बढ़ते सशक्तीकरण के कारण संभव हो सकेगा।

लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के 'उचित' स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के 'न्यूनतम' स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार 'मानव निर्धनता' तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है? या घर है? या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है? या रोज़गार की सुरक्षा है? या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को, केवल आय के संदर्भ में, न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोज़गार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियाँ हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे।

Rationalised 2023-24

सारांश

आपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं। सामान्यत: इसे 'निर्धनता रेखा' की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता में मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नयी अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी प्रकार चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का 'मानव निर्धनता' में विस्तार कर रहे हैं।

अभ्यास

1 भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है?
2 क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है?
3 भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें।
4 भारत में निर्धनता में अंतर-राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें।
5 उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं।
6 भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए।
7 वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें।
8 निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें।
9 निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें :
   (क) मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं?
   (ख) निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन हैं?
   (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

संदर्भ

डेटन, ऐंगस एंड वैलेरी, कोजेल (सं.), 2005, *द ग्रेट इंडियन पावर्टी डिबेट*, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, नयी दिल्ली।

इकोनॉमिक सर्वे 2015-16, *चैप्टर ऑन सोशल सेक्टर्स*, [ऑनलाइन वेब] यूआरएल: एचटीटीपी / इंडिया बजट, एनआईसी.आईएन / ईएस 2004-05, सोशल एच.टी.एम., मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनैंस, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, नयी दिल्ली।

मिडटर्म एप्रेज़ल ऑफ द टेन्थ फाइव ईयर प्लान 2002-07, भाग-दो, अध्याय-7: *पॉवर्टी एलिमिनेशन एंड रूरल एम्पलॉयमेंट* [आनलाइन वेब] एचटीटीपी: / डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. प्लानिंग कमीशन, एनआईसी.आईएन / मिडटर्म इंगलिश-पीडीएफ / चैप्टर 07 पीडीएफ, प्लानिंग कमीशन, नयी दिल्ली।

नेशलन रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऐक्ट 2005 [आन लाइन वेब] एचटीटीपी: / रूरल एनआईसी.आईएन / राजस्व पीडीएफ।

टेन्थ फ़ाइव ईयर प्लान 2002-07, अध्याय- 3.2, *पॉवर्टी एलीवेशन इन रूरल इंडिया: स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम्स*, [आनलाइन वेब] एचटीटीपी: / डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.प्लानिंग कमीशन, एनआईसीआईएन / प्लान्स / प्लानरिल / फाइव ईयर / टेन्थ, वाल्यूम-2 / वी-2 सीएच-3-2 पीडीएफ, प्लानिंग कमीशन, नयी दिल्ली।

वर्ल्ड डेवलपमेंट सूचक 2016, *सतत विकास के लक्ष्य की विशेषता*, द वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

पाणिग्रही अरविंद एण्ड विशाल मोरे 'पावर्टी बाइ सोशल रिलिजियस एण्ड इकोनॉमिक ग्रुप्स इन इंडिया एण्ड इट्स लार्जेस्ट स्टेट, वर्किंग पेपर न. 2013-14, प्रोग्राम ऑन इण्डियन इकोनॉमिक पोलिसीज, कोलम्बिया युनिर्वसिटी।

© NCERT not to be republished

4
अध्याय

0971CH04

भारत में खाद्य सुरक्षा

अवलोकन

खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है, तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा **सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता** और **खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति** में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है।

खाद्य सुरक्षा क्या है?

जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि साँस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र दो जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं :

(क) खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है।

(ख) पहुँच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे।

(ग) सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो।

किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब (1) सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, (2) सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य-पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और (3) खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो।

खाद्य सुरक्षा क्यों?

समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुज़र रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं।

1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था–'आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता' (सं. रा. 1975)। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुँच पर ज़ोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ-साथ उन वस्तुओं से है, जिनका उत्पादन और विनिमय बाज़ार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार, खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, 1995 में यह घोषणा की गई कि ''वैयक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है, जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी ज़रूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुँच सदैव हो'' (खाद्य एवं कृषि संगठन 1996, पृष्ठ 3)। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि ''खाद्य तक पहुँच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है।''

किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे, सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊँची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है, तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है।

© NCERT not to be republished

अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो भुखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भुखमरी से उत्पन्न कमज़ोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है।

भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था, वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में तीस लाख लोग मारे गए थे।

क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मज़दूर, मछुआरे, परिवहनकर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे।

सारणी 4.1 : *बंगाल प्रांत में चावल की उपज*

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)	आयात (लाख टन)	निर्यात (लाख टन)	कुल उपलब्धता (लाख टन)
1938	85	–	–	85
1939	79	04	–	83
1940	82	03	–	85
1941	68	02	–	70
1942	93	–	01	92
1943	76	03	–	79

स्रोत : *सेन, ए.के., 1983, पृष्ठ 61 (देखें इस अध्याय का 'संदर्भ')*

आइए चर्चा करें

- कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। सारणी 4.1 का अध्ययन करें और बताएँ कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
- किस वर्ष में खाद्य उपलब्धता में भारी कमी हुई?

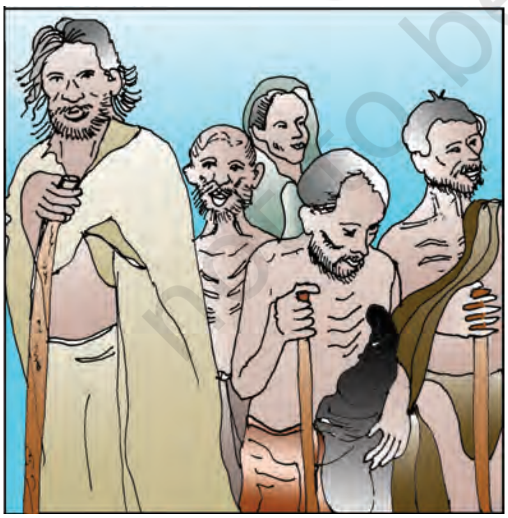

चित्र 4.1 : *राहत केंद्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग, 1945*

चित्र 4.2 : *1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगाँव ज़िले में गाँव छोड़ कर जाता हुआ एक परिवार।*

© NCERT not to be republished

Rationalised 2023-24

सुझाए गए कार्य

(क) चित्र 4.1 में आप क्या देखते हैं?

(ख) पहले चित्र में कौन सा आयु वर्ग दिख रहा है?

(ग) क्या आप कह सकते हैं कि चित्र 4.2 में दिखाया गया परिवार गरीब है? क्यों?

(घ) क्या आप अकाल पड़ने से पहले (दोनों चित्रों में दिखाए गए) लोगों की जीविका के स्रोत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं? (गाँव के संदर्भ में)

(ङ) ज्ञात करें कि किसी राहत शिविर में प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को किस तरह की मदद दी जाती है।

(च) क्या आपने इस तरह के पीड़ितों की कभी (धन, खाद्य, कपड़ों, दवाओं आदि के रूप में) सहायता की है?

परियोजना कार्य : भारत में अकाल संबंधी और सूचनाएँ एकत्र करें।

भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है और भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारियों के कारण भी खाद्य में भी कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए कोविड 19 महामारी का विपरीत प्रभाव पड़ा। लोगों के आवागमन पर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया जिससे आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

खाद्य-असुरक्षित कौन हैं?

यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं : भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएँ प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा-मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम-बाज़ार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मज़दूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं।

रामू की कहानी

रामू रायपुर गाँव में कृषि क्षेत्रक में एक अनियत खेतिहर मज़दूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू दस वर्ष का है। वह भी गाँव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ़ एक हज़ार रुपये मिलते हैं। रामू के तीन और बेटे और दो बेटियाँ हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफ़ाई करने और गोबर हटाने का काम (अंशकालिक) करती है। उसे अपने रोज़ाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्ज़ियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिल कर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधा-रोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग चार महीने बेरोज़गार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी-कभी उसे ईंट भट्टे में या गाँव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नकद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है, जिससे वह अपने परिवार के दो जून के भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सके। बहरहाल, जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कभी-कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्ज़ियाँ भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोज़गारी के चार महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है।

© NCERT not to be republished

आइए चर्चा करें

- कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है?
- रामू वर्ष के लगभग चार महीने बेरोज़गार क्यों रहता है?
- जब रामू बेरोज़गार होता है, तो वह क्या करता है?
- रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है?
- कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर, रामू को कठिनाई क्यों होती है?
- रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है?

अहमद की कहानी

अहमद बंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने तीन भाइयों, दो बहनों और बूढ़े माँ-बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन-पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल, उसका रोज़गार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती-बढ़ती रहती है। कभी-कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात् अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है, जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ ही खरीद सके। सौभाग्यवश, अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है, जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पी.डी.एस. कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाज़ार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है, जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन-पोषण कर रहा है, जहाँ वह अकेला कमाने वाला सदस्य है।

आइए चर्चा करें

- क्या रिक्शा चलाने से अहमद को नियमित आय होती है?
- रिक्शा चलाने से होने वाली थोड़ी सी आय के बावजूद पीला कार्ड अहमद को अपना परिवार चलाने में कैसे मदद कर रहा है?
- रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है?

खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों (इनमें से निचली जातियाँ) का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएँ प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों, जैसे, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर-क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार-बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में, उत्तर प्रदेश (पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्से), बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण (एन.एच.एफ़.एस.) 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है।

भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं / या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के

© NCERT not to be republished

कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबद्ध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे, बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है, जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है।

सारणी 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है।

सारणी 4.2 : *भारत में 'भुखमरी' से ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत*

वर्ष	भुखमरी के प्रकार		
	मौसमी	दीर्घकालिक	कुल
ग्रामीण			
1983	16.2	2.3	18.5
1993-94	4.2	0.9	5.1
1999-2000	2.6	0.7	3.3
शहरी			
1983	5.6	0.8	6.4
1993-94	1.1	0.5	1.6
1999-2000	0.6	0.3	0.9

स्रोत : *सागर 2004, विद्या (देखें इस अध्याय का 'संदर्भ')*

स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय नीति-निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नयी रणनीति अपनाई, जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूँ और चावल के उत्पादन में।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई, 1968 में 'गेहूँ क्रांति' शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्रक में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूँ की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल, अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में

चित्र 4.3 : *पंजाब का एक किसान एच.वाई.वी. प्रकारों वाले गेहूँ के एक खेत के सामने, जिस पर हरित क्रांति आधारित है*

सर्वाधिक वृद्धि हुई जोकि 44.01 और 30.21 करोड़ टन क्रमश: 2015-16 में है। वर्ष 2015-16 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन है। वर्ष 2016-17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन है। गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जोकि 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रमश: 2015-16 में है। दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि जोकि 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन क्रमश: 2015-16 में है।

सुझाई गई क्रियाएँ

- निकट के किसी गाँव में कुछ खेतों पर जाएँ और किसानों द्वारा उपजाई गई खाद्य फसलों का ब्यौरा एकत्रित करें।

भारत में खाद्य सुरक्षा

70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है।

देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले तीस वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में (खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से) अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के दो घटक हैं: (क) बफ़र स्टॉक और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

© NCERT not to be republished

आरेख 4.1 : *भारत में अनाज की उपज (करोड़ टन)*

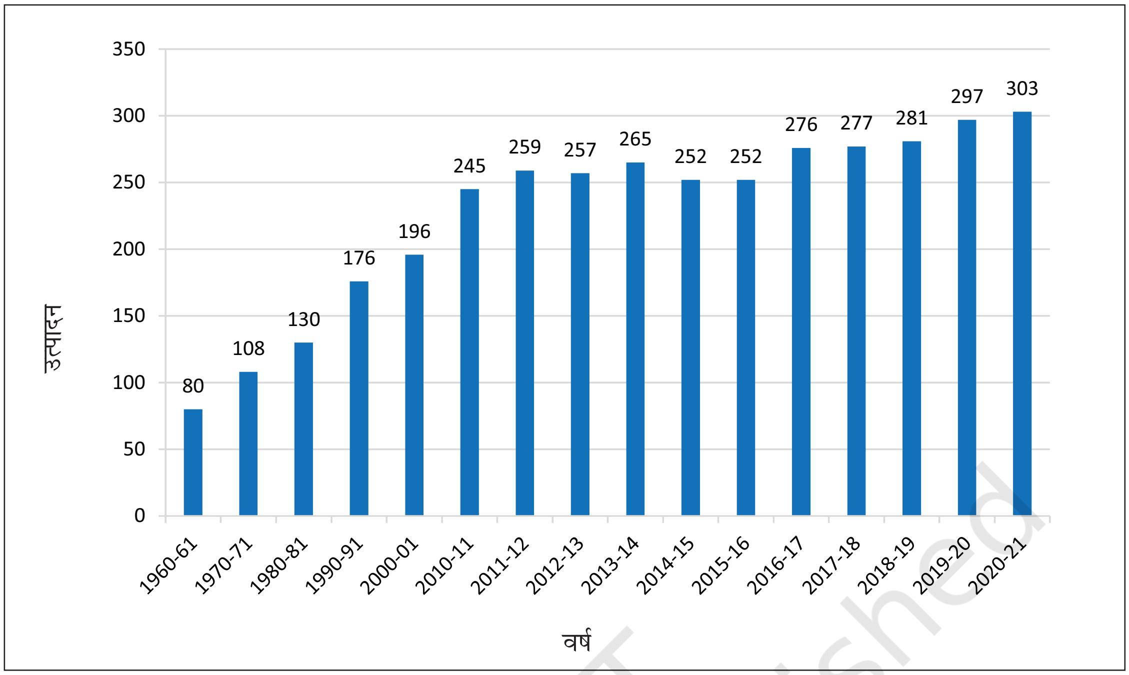

स्रोत : *कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग, वार्षिक रिपोर्ट 2020–21*

© NCERT not to be republished

आइए चर्चा करें

आरेख 4.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :

- हमारे देश में किस वर्ष में अनाज उत्पादन 200 करोड़ टन प्रतिवर्ष से अधिक हुआ?
- भारत में किस दशक में अनाज उत्पादन में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई?
- क्या 2000–01 से भारत में उत्पादन में वृद्धि स्थायी है?

बफ़र स्टॉक क्या है?

बफ़र स्टॉक **भारतीय खाद्य निगम** (एफ़.सी.आई.) के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूँ और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को **न्यूनतम समर्थित कीमत** कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफ़र स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को **निर्गम कीमत** भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गाँवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें **उचित दर वाली दुकानें** कहा जाता है, चीनी खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाज़ार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा (जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि) निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है।

राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं : (क) निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, (ख) निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बी पी एल कार्ड और (ग) अन्य लोगों के लिए ए पी एल कार्ड।

सुझाई गई क्रियाएँ

- अपने इलाके की राशन की दुकान पर जाएँ और वहाँ से निम्नलिखित ब्यौरा प्राप्त करें :
  1 राशन की दुकान कब खुलती है?
  2 राशन की दुकान पर कौन-कौन सी चीज़ें बेची जाती हैं?
  3 राशन की दुकान के चावल और चीनी (निर्धरता की रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए) की कीमत की तुलना किसी अन्य किराने की दुकान की कीमतों से करें।
- पता लगाएँ :
  1 क्या आपके पास राशन कार्ड है?
  2 इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल में कौन-सी चीज़ खरीदी है?
  3 क्या उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
  4 राशन की दुकानें क्यों ज़रूरी हैं?

चित्र 4.4

भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी तीन महत्त्वपूर्ण अंत:क्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए: **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** (जो पहले से ही थी, लेकिन उसे और मज़बूत किया गया), **एकीकृत बाल विकास सेवाएँ** (आई.सी.डी.एस., जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई) और **काम के बदले अनाज** (एफ.एफ.डब्ल्यू., 1977-78 में प्रारंभ)। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक **गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम** (पी.ए.पी.) चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर पी.ए.पी. भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं, रोज़गार कार्यक्रम गरीबों की आय मे बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं।

सुझाए गए क्रियाकलाप

सरकार की ओर से शुरू किए गए खाद्य पर आधारित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एकत्र करें।

संकेत: ग्रामीण वेतन रोज़गार कार्यक्रम, रोज़गार गारंटी योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना, दोपहर का भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ आदि।

अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर-निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक

© NCERT not to be republished

भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या एवं 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गाया है।

वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर पी डी एस) शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर-दराज़ और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुँचाना था। जून 1997 से 'सभी क्षेत्रों में गरीबों' को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर-निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा, 2000 में दो विशेष योजनाएँ—**अंत्योदय अन्न योजना** और **अन्नपूर्णा योजना** प्रारंभ की गईं। ये योजनाएँ क्रमशः 'गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब' और 'दीन वरिष्ठ नागरिक' समूहों पर लक्षित हैं। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश सारणी 4.3 में दिया गया है।

इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों

सारणी 4.3 : *सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ*

योजना का काम	आरंभ का वर्ष	लक्षित समूह	अद्यतन मात्रा	निर्गम कीमत (रु. प्र.कि.)
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	1992 तक	सर्वजनीन	-	गेहूँ - 2.34 चावल - 2.89
संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	1992	पिछड़े ब्लॉक	20 कि. खाद्यान्न	गेहूँ - 2.80 चावल - 3.77
लक्षित सार्वजनिक विवरण प्रणाली	1997 (2000 से कार्यान्वित)	निर्धन और गैर-निर्धन बी.पी.एल. ए.पी.एल.	35 कि. खाद्यान्न/महीना	बी पी एल — गेहूँ - 4.15 चावल - 5.65 ए पी एल — गेहूँ - 6.10 चावल - 8.30
अंत्योदय अन्न योजना	2002	निर्धनों में सबसे निर्धन	35 कि./मुखिया खाद्यान्न/महीना	गेहूँ - 2.00 चावल - 3.00
अन्नपूर्णा योजना	2000	दीन वरिष्ठ नागरिक	10 कि. खाद्यान्न	निःशुल्क
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	2013	योग्य परिवार	5 कि. प्रति व्यक्ति प्रति माह	गेंहू-2.00 चावल-3.00 अनाज-1.00

नोट : *बी पी एल: निर्धनता रेखा से नीचे, ए पी एल : निर्धनता रेखा से ऊपर।*

स्रोत : *भारतीय खाद्य निगम, 2020*

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (अपडेटेड ऑन 29/09/2021)

© NCERT not to be republished

से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है।

तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएँ हो रही हैं। एफ.सी.आई. के भंडार अनाज से भरे हैं। कहीं अनाज सड़ रहा हैं तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिया गया आरेख 4.2 में केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और इसकी मोजा मानदडों में अंतर को दर्शाती है।

आओ चर्चा करें

आरेख 4.2 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

- हाल में किस वर्ष में सरकार के पास खाद्यान्न का स्टॉक सबसे अधिक था?
- एफ.सी.आई. का न्यूनतम बफ़र स्टॉक प्रतिमान क्या है?
- एफ.सी.आई. के भंडारों में खाद्यान्न ठसाठस क्यों भरा हुआ है?

अंत्योदय अन्न योजना

अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ा कर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बी.पी.एल. परिवार दो बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई।

सहायिकी (सब्सिडी) वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाज़ार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायिकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊँची आय कायम रखते हुए, उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है।

आरेख 4.2 : *न्यूनतम बफ़र स्टॉक का स्तर (करोड़ टन) एवं चावल और गेहूँ के मानक*

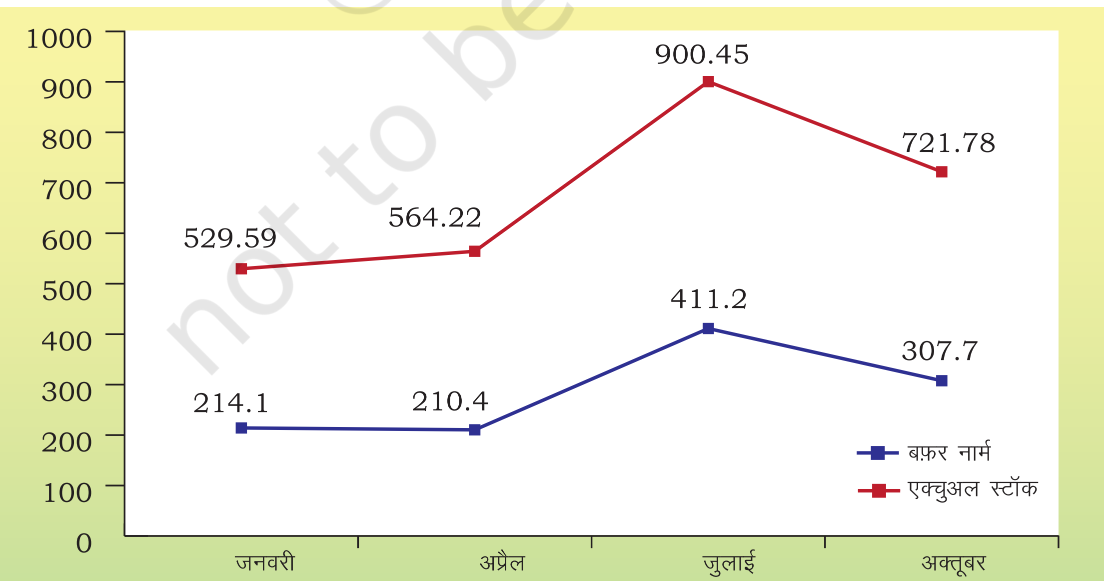

स्रोत : *भारतीय खाद्य निगम, 2020-21; बफ़र स्टॉक का स्तर 1 जुलाई 2017 से माननीय है*

© NCERT not to be republished

वर्ष 2014 में एफ.सी.आई. के पास गेहूँ और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था जो न्यूनतम बफ़र प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफ़र स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊँचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफ़र स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रख-रखाव लागत के लिए भी ज़िम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा, चूँकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल) में मुख्यत: दो फसलों-गेहूँ और चावल तक सीमित है, न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूँ उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है।

न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफ.सी.आई. की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है।

एन.एस.एस.ओ. न. 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किग्रा. वर्ष 2004-05 से घटकर 5.98 किग्रा. वर्ष 2011-12 में हो गया।

चित्र 4.5 : भंडारों में खाद्यान्न ले जाते हुए किसान

नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किग्रा. से घटकर 4.49 किग्रा. 2011-12 में हो गया। प्रतिव्यक्ति पी.डी.एस. चावल की खपत 2004-05 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई है और नगरीय भारत में 66 प्रतिशत बढ़ी हैं। पी.डी.एस. गेहूँ की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दोगुना हो गई है।

पी.डी.एस. डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाज़ार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी-कभार खोलना जैसे अपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पातीं, तो एफ.सी.आई. के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर-निर्धन राशन कार्ड था जिसमें चावल, गेहूँ, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे।

© NCERT not to be republished

आज आप जो तीन प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब तीन भिन्न कीमतों वाले टी.पी.डी.एस. की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। ए.पी.एल. परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊँची हैं जितनी खुले बाज़ार में, इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है।

सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका

भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियाँ भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियाँ निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरणार्थ, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें है, उनमें से करीब 94 प्रतिशत सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्ज़ियाँ उपलब्ध कराने में तेज़ी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी हैं। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है।

इसी तरह, महाराष्ट्र में *एकेडमी आफ डेवलपमेंट साइंस* (ए.डी.एस.) ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। ए.डी.एस. गैर-सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे-धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना, गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में ए.डी.एस. की कोशिश रंग ला रही है। ए.डी.एस. अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है।

© NCERT not to be republished

सारांश

किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है, जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है। सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुँचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है, सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियत श्रमिक हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है जैसे, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहाँ बहुत अधिक गरीबी है, जनजातियों वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके दो घटक हैं: (क) बफ़र स्टॉक और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल था। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं: एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियाँ और गैर-सरकारी संगठन भी हैं, जो इस दिशा में तेज़ी से काम कर रहे हैं।

Rationalised 2023-24

अभ्यास

1. भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है?
2. कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं?
3. भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं?
4. क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे?
5. भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है? व्याख्या कीजिए।
6. जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है?
7. मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए?
8. गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं की चर्चा कीजिए।
9. सरकार बफ़र स्टॉक क्यों बनाती है?
10. टिप्पणी लिखें :
    (क) न्यूनतम समर्थित कीमत
    (ख) बफ़र स्टॉक
    (ग) निर्गम कीमत
    (घ) उचित दर की दुकान
11. राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएँ हैं?
12. खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें।

संदर्भ

देव, एस. महेंद्र, कानन, के.पी. और रामचंद्रन, नीरा (सं.), 2003, *'टुआर्डस ए फूड सिक्योर इंडिया: इश्यूज़ एंड पॉलिसीज़,* इंस्टीच्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपेमेंट, नयी दिल्ली।

एफ.ए.ओ. 1996, *वर्ल्ड फूड सम्मिट* 1995, फूड एण्ड एग्रीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन, रोम।

आर्थिक सर्वेक्षण 2002-03, 2003-04, 2004-05, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली।

आई.आई.पी.एस. 2000, *नेशनल हेल्थ एंड फैमली सर्वे-2,* इंटरनेशलन इंस्टीच्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज़, मुंबई।

सागर, विद्या, 2004, *फ़ूड सिक्युरिटी इन इंडिया,* पेपर प्रजेंटेड इन ए.डी.आर.एफ.-आई.एफ.आर.आई. फ़ाइनल मीटिंग ऑन फ़ूड सिक्युरिटी इन इंडिया, सितंबर 10-11, नयी दिल्ली।

सक्सेना, एन.सी., 2004, *सेनेरजाइज़िंग गर्वमेंट एफर्ट फॉर फ़ूड सिक्युरिटी,* स्वामीनाथन, एम.एस. और मेडरानो, पैड्रो, (सं.) में, टुवार्डस हंगर फ्री इंडिया, ईस्ट-वेस्ट बुक्स, चेन्नई।

सक्सेना, एन.सी., 2004, *रिऑर्गनाइज़िंग पॉलिसीज़ एंड डेलेवरी फॉर एलीवियेटिंग हंगर एंड मालन्यूट्रिशन,* नेशनल फूड सिक्युरिटी सम्मिट, नयी दिल्ली में प्रस्तुत पर्चा।

सेन, ए.के., 1983, *पॉवर्टी एंड फैमिंस : एन ऐसे ऑन इनटाईटलमेंट एंड डेप्रिवेशन,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

शर्मा, रेखा और मीनाक्षी, जे.वी., 2004, *माइक्रोन्यूट्रियेंट डिफिसिएन्सीज़ इन रूरल डाइट्स,* टुवार्डस हंगर फ्री इंडिया: फ्रॉम विजन टू एक्शन, प्रोसीडिंग्स ऑफ कंसलटेशन ऑन 'टुवार्डस हंगर फ्री इंडिया : काउंट डाउन फ्रॉम 2007' नयी दिल्ली।

यू.एन. 1975, *रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस 1975 (रोम),* यूनाइटेड नेशंस, न्यूयार्क।

भारतीय खाद्य निगम; (fci.gov.in/stocks.php/view=18)